न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी
अति0 कलक्टर एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, (चतुर्थ) जयपुर

एफ.एस.एस.ए. प्रकरण संख्या : 01/2018

शशिकांत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

कैलाश चन्द बधाला पुत्र श्री गंगाराम बधाला (विक्रेता एवं सचिव), मैसर्स :– बधालो की ढाणी, दूग्ध उत्पादक सहकारी समिति कोड नं0 4059, बधालो की ढाणी, इटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर, निवासी–बधालो की ढाणी, इटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

अभियुक्त,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एवं धारा 51
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011)

उपस्थितिः–

1. पेरोकार सरकार उपस्थित।
2. अभियुक्त एवं अभियुक्त अधिवक्ता बावजूद सूचना उपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 30.03.2022**

यह परिवाद शशिकांत शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम, जयपुर द्वारा प्रस्तुत किया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा परिवाद प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि दिनांक 16.06.2017 को मैसर्स बधालो की ढाणी, दूग्ध उत्पादक सहकारी समिति कोड नं0 4059, बधालो की ढाणी, इटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर का अभियुक्त कैलाश चन्द बधाला की उपस्थिति में संस्थान का निरीक्षण किया गया। वक्त निरीक्षण मौके पर एल्यूमिनियम के केन में लगभग 30 लीटर गाय का दूध भरा हुआ रखा था। इसमें गुणवत्ता का शक होने पर इसमें से 2 लीटर गाय का दूध वास्ते नमूना जांच संख्या अभिहित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर के कोड एवं क्रमांक ई–3029 के लिये क्रय किया गया। क्रय किये गये 2 लीटर गाय का दूध की कीमत अंके रूपये 60/– (अक्षरे रूपये साठ मात्र) मौके पर उपस्थित कैलाश चन्द बधाला से केश मीमो/रसीद प्राप्त की। जिस पर बतौर सबूत विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। जांच हेतु क्रय किये गये 2 लीटर गाय के दूध की जांच कराये जाने पर सब–स्टैण्र्ड होना पाया गया है। अभियुक्त द्वारा विक्रय हेतु रखे गये गाय का दूध को सब–स्टैण्र्ड पाये जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लघंन किया जाना पाया गया है। अतः धारा 51 में निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे।

उक्त आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराया जाकर अभियुक्त को नोटिस दिया जाकर साक्ष्य सबूत का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अभियुक्त की ओर से अधिवक्ता श्री मंयक गुप्ता द्वारा दिनांक 09.03.2021 को अपना वकालतनामा पेश किया गया, परन्तु बार–बार आवाज लगवाने के बावजूद अभियुक्त अधिवक्ता अथवा स्वयं अभियुक्त दिनांक 09.03.2022 एवं 23.03.2022 तथा 30.03.2022 को उपस्थित नही हुए। अतः अभियुक्त अथवा अभियुक्त अधिवक्ता के लगातार अनुपस्थित होने के कारण उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

हमनें पेरोकार सरकार की बहस सुनी। दौराने बहस पैरोकार सरकार ने कथन किया कि राज्य सरकार के नोटिफिकेशन दिनांक 26.07.2011 के अनुसार तथा आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक(जन. स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान, जयपुर के आदेश दिनांक 10.08.2011 के अनुसार आवंटित कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत मैसर्स बधालो की ढाणी, दूग्ध उत्पादक सहकारी समिति कोड नं0 4059, बधालो की ढाणी, इटावा भोपजी, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर के यहां पर निरीक्षण हेतु पंहुचे तथा निरीक्षण करने पर दुकान में 30 लीटर गाय का दूध एल्यूमिनियम के केन में भरा हुआ रखा था। जिनमें गुणवत्ता की कमी का शक होने पर नमूना जांच हेतु सील बंद कर 2 लीटर गाय का दूध को खरीद कर मुख्य खाद्य विश्लेषक जयपुर को नमूना जांच हेतु जमा कराई गई। जिसमें खाद्य विश्लेषक राजस्थान, जयपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एलएस/1461/एक्ट/2017/1531 दिनांक 06.07.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच क्रय किया गया गाय का दूध सब–स्टैण्र्ड फूड होना पाया गया है। अतः अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किये जाने पर धारा 51 के तहत निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया। अभियुक्त स्वंय अथवा अभियुक्त के अधिवक्ता के उपस्थित नही होने पर एकपक्षीय कार्यवाही करते हुए पेरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एवं धारा 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 नियम, 2011 का उल्लघंन पाये जाने पर अभियुक्त को शास्ति से दण्डित करने हेतु प्रस्तुत किये गये प्रा0 पत्र के समर्थन में निम्नाकिंत दस्तावेजात की प्रतियां प्रस्तुत की गई हैः–

1. प्रार्थी स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी है, के समर्थन में खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं (जन.स्वा.), राजस्थान, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.2011 में प्रकाशन हुआ है, की प्रति।
2. जोन जयपुर क्षेत्र प्रार्थी को आंवटित है, के समर्थन में आदेश क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/475 दिनांक 10.08.2011 की प्रति ।
3. प्रार्थी द्वारा दिनांक 16.06.2017 को नमूने के लिऐ क्रय किये 2 लीटर गाय का दूध के समर्थन में विक्रेता द्वारा दिनांक 16.06.2017 को दिये गए केश–मीमो दिनांक 16.06.2017 की प्रति जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है।
4. नमूना जांच हेतु क्रय किया गया इसकी सूचना विक्रेता को देने की पुष्टि में मौके पर तैयार किये गये प्ररूप 5ए की प्रति जिस पर प्ररूप 5ए की प्रति प्राप्ति के हस्ताक्षर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है।
5. खाद्य विश्लेषक को जॉच हेतु नमूना भिजवाने के लिऐ तैयार किया गया प्रारूप 6 की प्रति एवं प्रारूप 6 की प्रति प्राप्ति की रसीद।
6. मौके पर की गई समस्त कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है।
7. खाद्य विश्लेषक से नमूना जॉच रिपोर्ट दिनांक 06.07.2017 की प्रति जो निर्धारित प्ररूप वी में जारी की गई है और नमूना अमानक खाद्य पदार्थ (Substandard Food) होना अंकित है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने कथन के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये गये है, उनसे खाद्य सुरक्षा अधिकारी के कथन की पुष्टि होती है और इन दस्तावेजात की सत्यता पर सन्देह किये जाने का कोई वैधानिक आधार नही है। अभियुक्त को नियमानुसार एफएसएसए एक्ट 2006, नियम 2011 के नियम 2.4.6 सेक्शन 46 के

सब–सेक्शन 4 के अन्तर्गत 30 दिवस की अवधि में नमूने की रेफल लेबोरेट्री में पुनः जांच हेतु फार्म–viii में अपील करने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया था, परन्तु विक्रेता द्वारा पुनः जांच हेतु फार्म–viii में अपील प्रस्तुत नही की गई।

अतः उक्त विवेचनानुसार हम यह स्पष्टतः सिद्ध पाते है कि अभियुक्त के पास वरवक्त निरीक्षण अमानक खाद्य पदार्थ गाय का दूध उपलब्ध था जिसमें फेट की मात्रा निर्धारित 8.50 प्रतिशत के स्थान पर 7.95 प्रतिशत पायी गई है। इस प्रकार खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में नमूना लिये गये गाय के दूध को अमानक खाद्य पदार्थ पाया गया है। जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः अभियुक्त द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन करने पर प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुये अभियुक्त के कृत्य के लिये रूपये 15,000 (अक्षरे रूपये पन्द्रह हजार मात्र) की शास्ति आरोपित करते है और यह आदेश देते है कि आरोपित शास्ति नियमानुसार निर्णय दिनांक के एक माह की अवधि में जमा करवें।

निर्णय खुले इजलास आज दिनांक 30.03.2022 को सुनाया गया।

(शंकर लाल सैनी)
न्याय निर्णयन अधिकारी,
अति. जिला मजिस्ट्रेट,
(चतुर्थ), जयपुर